रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253751
SG-DL-E-18042024-253751

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15
No. 119]	DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 15

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग
(प्रशासन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अप्रैल, 2024

फा0सं0 4(2)/2023/खा0 एवं संभ0/प्रशा0/652.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59—एचआईएम(I) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)** के पद की भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—** (1) इन नियमों को **"स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)"** भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :—**उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :—**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**स्टाफ कार चालक** (ग्रेड–II)
2.	**पदों की संख्या**	:	04*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (रुपये 25500–81100/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में नौ वर्षों (09) की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर–2, रुपये19900–63200/–में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा उन्होंने सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टीप :–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0 सुधा0) –अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष –सदस्य 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) –सदस्य टीप :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नवीन मेदीरत्ता, सहायक आयुक्त प्रशासन

DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS

(ADMINISTRATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd April, 2024

No. F.4(2)/2023/F&S/Admn/652.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regarding the method of recruitment to the post of **"Staff Car Driver, (Grade-II)"** in the Department of Food Supplies and Consumer Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement :-** (1) These rules may be called "Staff Car Driver (Grade-II)" Recruitment Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, their classification and level in the Pay Matrix :-** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 to the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.:-** The method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications :-** No person, -

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule in respect of any class or category of persons.

6. **Saving :-** Noting in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. (Name of the Post)	Staff Car Driver(Grade – II)
2. (Number of Post)	04*(2024) *Subject to variation dependent on work-load
3.(Classification)	General Central Service , Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'
4.(Pay Level in the Pay Matrix)	Level-4 (Rs. 25500 -81100/-) of the Pay Matrix
5. (Whether Selection or Non-Selection Post)	Non-Selection
6. (Age Limit for Direct Recruits)	Not Applicable
7. (Educational & other qualifications required for direct recruits)	Not Applicable
8. (Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees)	Not Applicable
9.(Period of Prob, If any)	Not Applicable
10.(Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by Deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods)	By Promotion
11.(In case of rectt. By Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in pay Level-2 Rs. 19900-63200 of the pay matrix with 9 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the government. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.
12.(If a DPC exists what is its Composition)	Group-‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1.Principal Secretary/Secretary (AR)-**Chairperson.** 2.Head of the Department -**Member**. 3.Dy. Secretary (GAD)- **Member** **Note:** *Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee*
13.(Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making Recruitment)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

NAVEEN MEDIRATTA, Assistant Commissioner (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.18 21:38:16 +05'30'